



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/SER-1087/BR/8/2024-SSW-RU--IV

दिनांक: 13.05.2025

सेवा में,

श्री शोभन चौधरी

महाप्रबंधक,

उत्तर रेलवे, बडौदा हाउस,

नई दिल्ली - 110001

Email Id: gm@nr.railet.gov.in

विषय: अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के साथ रेलवे प्रशासन द्वारा अभद्रता का व्यवहार करने के संबंध में - श्री रामेश्वर मीणा, मुख्य टिकट निरीक्षक, उ.रे., लखनऊ का दिनांक 13.09.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2025 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न: यथोपरि।

भवदीय

(योगेन्द्र प्रसाद यादव / Y.P.Yadav)

उप सचिव / Deputy Secretary

Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थः

श्री रामेश्वर मीणा

गांव-अलीपुर, तहसील-भुसावर,

जिला-भरतपुर (राजस्थान) - 321615

(Mobile No:8440857406)



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग फा. सं. NCST/SER-1087/MRLY/39/2023-SSW

अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के साथ रेलवे प्रशासन द्वारा अभद्रता का व्यवहार करने के संबंध में श्री रामेश्वर मीणा, मुख्य टिकट निरीक्षक, उ.रे., लखनऊ की शिकायत पर आयोग द्वारा आयोजित सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग की तिथि एवं समय : 28.03.2025 को 04:45 बजे अपराह्न
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-1 के अनुसार।

- श्री रामेश्वर मीणा, मुख्य टिकट निरीक्षक, उ.रे. लखनऊ ने दिनांक 13.09.2023 के अभ्यावेदन में बताया है कि श्री रामेश्वर मीणा मुरादाबाद उ.रे. मुख्यालय पर सी.टी.आई पद कार्यरत था। प्रार्थी सहारनपुर से मुरादाबाद के लिए गाडी में ड्यूटी कर रहा था तभी सतर्कता निरीक्षकों ने बिना नोटिस के प्रार्थी की निजी वस्तु छीनी और रेल में यात्रियों के सामने ही कपड़े उतरवाए और उन्हें खाली बोतल में पेशाब करने को कहा। प्रार्थी के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई और 26.08.2022 को मानक पत्र बिना कारण बताकर उनको निलम्बित कर दिया गया और साथ ही मुरादाबाद मंडल से लखनऊ मंडल स्थानान्तरण कर दिया गया। प्रार्थी के साथ अन्याय हो रहा है।
- आयोग द्वारा उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले में रिपोर्ट मांगने हेतु महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे, दिल्ली को नोटिस 17.10.2023 को भेजा गया।
 - आयोग के नोटिस के संदर्भ में महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे, दिल्ली रिपोर्ट दिनांक 13.12.2023 प्राप्त हुई। रिपोर्ट संतोषजनक न पाए जाने पर, 28.03.2025 को मामले की सुनवाई निर्धारित की, तदनुसार सिटिंग नोटिस जारी किए गए।
 - सुनवाई के दौरान महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे की ओर से अपर मंडलीय रेल प्रबंधक (एडीआरएम), लखनऊ मंडल एवं अन्य अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए, तथा शिकायतकर्ता भी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती हैं:-

- जांच प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब का कारण स्पष्ट किया जाए। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह जांच अधिकतम 60 दिनों में पूरी की जानी थी, किंतु इसे पूर्ण होने में 500 दिनों से अधिक का समय लग गया। आयोग को यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि इस विलंब का मुख्य कारण क्या रहा।
- जांच प्रक्रिया में एकल अधिकारी की भूमिका पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए। उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, जांच केवल एक अधिकारी द्वारा की गई। रेलवे के नियमानुसार यह स्पष्ट किया जाए कि ऐसी स्थिति में जांच एकल अधिकारी द्वारा की जा सकती है या जांच समिति का गठन अनिवार्य होता है। साथ ही, जांच से संबंधित नियमावली अथवा दिशा-निर्देशों की प्रमाणिक प्रति आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

माया लक्ष्मी
डा. आशा लक्ष्मी/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

1 | Page

- III. किसी कर्मचारी के विरुद्ध जांच लंबित होने की स्थिति में डिवीजन परिवर्तन की नीति स्पष्ट की जाए। यह जानकारी दी जाए कि यदि कोई कर्मचारी जांच का सामना कर रहा हो या उसके विरुद्ध जांच प्रक्रियाधीन हो, तो उस स्थिति में उसका डिवीजन बदला जा सकता है अथवा नहीं।
- IV. पूर्व में याचिकाकर्ता को झूठे आरोप में फँसाने के प्रयास पर आयोग द्वारा संज्ञान लिया जाए। याचिकाकर्ता द्वारा यह बताया गया है कि लगभग छह माह पूर्व भी उन्हें झूठे आरोप में फँसाने का प्रयास किया गया था। आयोग से अपेक्षा है कि इस तथ्य पर भी विचार करते हुए आवश्यक जानकारी एकत्र कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
- V. याचिकाकर्ता के अनुसार, उसी ट्रेन के अन्य कोच में एक अन्य टिकट निरीक्षक (टी.टी.) भी नियुक्त थे, किंतु उनके विरुद्ध किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। इस पक्ष पर भी विभाग द्वारा यथोचित स्पष्टीकरण आयोग को प्रस्तुत किया जाए।

इस मामले की जांच रिपोर्ट आयोग को 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा
22/04/2025
(डॉ आशा लकड़ा)

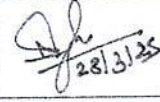
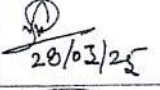
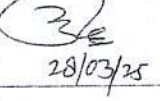
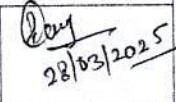
सदस्या
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-1087/MRLY/39/2023-SSW-RU-IV

Sitting to be held on 28.03.2025 at 04:45 P.M - अनुसूचित जनजाति व्यक्ति के साथ रेलवे प्रशासन द्वारा अभद्रता का व्यवहार करने के संबंध में - श्री रामेश्वर मीणा, मुख्य टिकट निरीक्षक, उ.रे., लखनऊ का अभ्यावेदन।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	National Commission for Scheduled Tribes		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Research Officer		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
6.			
7.			
8.			
II	Officers from O/o General Manager, Northern Railways		
1.	NEELIMA SINGH ADM, LUCKNOW NORTHERN RAILWAY	9794833002	 28/3/25
2.	KULDEEP TIWARI S-DCM, LUCKNOW, NR	9794833350	 28/03/25
3.	Aadesh Kumar DYCPOLIR & Liaison Officer for SC/ST	9797630608	 28/03/25
4.			
5.			
6.			
III	Petitioners		
1.	Rameshwar Meena Ex CTI/EXO	8440857406	 28/03/2025
2.			